

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
जिला-रायपुर

क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक ०४/03/2021

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छ.ग. राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
छत्तीसगढ़.

विषय:- सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किये जाने बाबत।
संदर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3 दिनांक 29.07.2020 तथा वित्त विभाग का निर्देश क्रमांक 372/260/वि/नि/चार/2020 दिनांक 29.07.2020.

-----::-----

उपरोक्त संदर्भित परिपत्रों का कृपया अवलोकन करें। (छायाप्रति संलग्न)

2/ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3, दिनांक 28.07.2020 में छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 के नियम-8 के उपनियम 1 में संशोधन कर "किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को प्रथमतः 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा" का प्रावधान किया गया है तथा दिनांक 29.07.2020 को प्रसारित निर्देश में यह कहा है कि समस्त विभागों के भर्ती नियमों में भी संशोधन की आवश्यकता होगी। जब तक समस्त विभागों द्वारा अपने-अपने भर्ती नियमों में संशोधन की कार्यवाही पूर्ण नहीं कर ली जाती तब तक सभी विभागों के भर्ती नियम स्वमेव संशोधित माने जावेंगे।

3/ इसी तारतम्य में वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 367/वित्त/नियम/चार/2020 दिनांक 28.07.2020 में छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 22सी के उप-नियम (1) में किये गये संशोधन के फलस्वरूप सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियत स्टायपेण्ड देय होगा तथा परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत

किया जायेगा।

4/ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 के उप-नियम (1) तथा छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 22सी के उप-नियम (1) में किये गये संशोधन राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से प्रभावशील है।


5/ उक्त प्रावधान लागू होने के उपरांत भी कतिपय विभागों/विभागाध्यक्ष कार्यालयों/ कलेक्टर कार्यालयों द्वारा शासन के उपरोक्त नियम/निर्देशों के विपरीत 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति आदेश जारी किये जा रहे हैं, जो सर्वथा शासन के नियम/निर्देशों के विपरीत है।

6/ अतः आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है कि जिन विभागों/विभागाध्यक्ष कार्यालयों/कलेक्टर कार्यालयों एवं शासन के अधीनस्थ निगम/मंडल/बोर्ड/ आयोग /प्राधिकरण/स्वशासी संस्थाओं आदि में दिनांक 28.07.2020 से की गई नियुक्ति में शासन के नियम/निर्देशों के विपरीत 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर जारी नियुक्ति आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए, 03 वर्ष की परिवीक्षा के साथ नियत स्टायपेण्ड पर करने का आदेश जारी करें।

7/ उक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित करने हेतु समस्त नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग को अवगत करावें। ऐसे नियुक्ति प्राधिकारी, जो उक्त निर्देश की अवहेलना करते हुए, 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति आदेश जारी किया जाना पाया जाता है तो, उन नियुक्ति प्राधिकारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

8/ उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार



(एस.के. सिंह)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

✓ सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक ०४/०३/२०२१

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
4. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईट, रायपुर।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
7. निज सचिव/निज सहायक, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर।
8. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर।
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/सचिव, राज्य मानव अधिकार आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर।
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़, रायपुर।
12. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, माननीय उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
13. अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/समस्त अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
14. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
15. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
16. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.gad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
08.3.21
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
जिला-रायपुर

क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29/07/2020

प्रति,


शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छ.ग. राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
छत्तीसगढ़.

विषय:- राज्य शासन की छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में संशोधन।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 के उप-नियम (1) में संशोधन किया गया है। उक्त संशोधन के संबंध में राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3 दिनांक 28 जुलाई, 2020 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

2/ उक्त संशोधन के फलस्वरूप शासन के समस्त विभागों के भर्ती नियमों में भी संशोधन की आवश्यकता होगी। अतः समस्त विभागों के भर्ती नियम में जब तक विभागों द्वारा अपने-अपने भर्ती नियमों में संशोधन की कार्यवाही पूर्ण नहीं कर ली जाती है, तब तक समस्त विभागों के भर्ती नियम यथा आवश्यक स्वमेव संशोधित माने जायेंगे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार



(एस.के. सिंह)


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29/07/2020
प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
4. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईट, रायपुर।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
7. निज सचिव/निज सहायक, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर।
8. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर।
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/सचिव, राज्य मानव अधिकार आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर।
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़, रायपुर।
12. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, माननीय उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
13. अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/समस्त अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
14. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
15. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
16. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.gad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन 29.7.2020
सामान्य प्रशासन विभाग

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 331]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई 2020—श्रावण 6, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2017/1/3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 8 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“(1) किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, प्रथमतः 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा.”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कमलप्रोत सिंह, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई 2020

क्रमांक एफ 1-1/2017/1/3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2017/1/3 दिनांक 28 जुलाई, 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

Atal Nagar, the 28th July 2020

NOTIFICATION

No. F 1-1/2017/1-3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Service (General Condition of Service) Rules, 1961, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

For sub-rule (1) of rule 8, the following shall be substituted, namely :—

“(1) A person appointed to a service or post by direct recruitment shall be placed on probation for first three years.”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
KAMAL PREET SINGH, Secretary.

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला-रायपुर

क्र 312/260/वि/नि/चार/2020
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/07/2020

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय:-सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किये जाने बाबत

वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था में सीधी भर्ती से नियुक्त शासकीय सेवकों को सामान्यतः वेतनमान के न्यूनतम पर 2 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है। अब राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि समस्त श्रेणियों के कर्मचारियों की सीधी भर्ती के समस्त पदों, जिसमें लोक सेवा आयोग द्वारा चयन परीक्षा ली जाने वाली ऐसी सभी सेवाओं के पद भी सम्मिलित हैं, के लिए छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 22 सी (1) में शासकीय सेवा में सीधी भर्ती के पद पर 3 वर्ष की परिवीक्षा पर रखे जाने एवं परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त सेवकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%, 80% एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में दिया जाये। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन नियत किया जाये।

2. राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि शासकीय विभागों/ कार्यालयों के साथ-साथ सभी निगम/मंडल/आयोग/प्राधिकरण/विश्वविद्यालय/अनुदान प्राप्त-स्वशासी संस्थाओं आदि में भी सीधी भर्ती के पद पर परिवीक्षा पर रखे जाने की अवधि में और परिवीक्षा में देय राशि के प्रावधान में उपरोक्तानुसार परिवर्तन किया जाये।

3. (1) सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को 3 वर्ष की परिवीक्षा पर रखे जाने के संबंध में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 367/वित्त/नियम/चार/2020, दिनांक 28.07.2020 का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 28.07.2020 में हो चुका है।

(2) छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 22सी (1) में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रथम वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत; द्वितीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत; तृतीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत स्टायपेण्ड देय होगा, परन्तु

परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा। सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति भी सम्मिलित है।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2017/1/3, दिनांक 28 जुलाई 2020 के द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 8(1) संशोधित करते हुए किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, प्रथमतः 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखने का प्रावधान किया गया है।

(4) वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग की छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित उपरोक्त अधिसूचनाओं के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु अधिसूचनाओं की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

4. (1) राज्य के सभी निगम/मंडल/आयोग/ प्राधिकरण/ विश्वविद्यालय/अनुदान

प्राप्त-स्वशासी संस्थाओं आदि के लिए निम्नानुसार व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये:-

सीधी भर्ती के पदों पर चयनित समस्त कर्मियों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा:-

प्रथम वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत;

द्वितीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत;

तृतीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत;


परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे।

(ख) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब कर्मियों का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा।

(2) नियमों में आवश्यक संशोधन किये जाने के संबंध में अनुषांगिक कार्यवाही संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जायेगा। इसके लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित प्रशासकीय विभागों/संस्थाओं को अधिकृत किया जाता है।

5. यह निर्देश दिनांक 28 जुलाई, 2020 से प्रभावशील माना जायेगा।

संलग्न:- यथोपरि



(अमिताम जैन)

अपर मुख्य सचिव

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. धिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 330]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई 2020—श्रावण 6, शक 1942

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई 2020

अधिसूचना

क्रमांक 367/वित्त/नियम/चार/2020.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 22सी के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“(1) (क) सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा :—

प्रथम वर्ष — उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत;

द्वितीय वर्ष — उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत;

तृतीय वर्ष — उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत;

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे.

(ख) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा.

- (ग) सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति भी सम्मिलित है."

No. 367/Fin./Rule/IV/2020.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Fundamental Rules, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

For sub-rule (1) of rule 22 C, the following shall be substituted, namely :—

- "(1) (a) The following stipend shall be payable to the Government Servant selected on the posts of direct recruitment during the probation period of three years :—

First year — 70 percent of the minimum of the pay scale of the post;
 Second year — 80 percent of the minimum of the pay scale of the post;
 Third year — 90 percent of the minimum of the pay scale of the post;

Provided that during probation period, other allowances along with stipend shall be received as a Government Servant.

- (b) On confirmation in the service or post after the expiry of the period of probation, the pay of the Government Servant shall be fixed at minimum in the time-scale applicable of the service or the post.
- (c) The Government Servant selected on the posts of direct recruitment also includes the appointment of selected candidates through Chhattisgarh Public Service Commission."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 ए. के. सिंह, संयुक्त सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 331]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई 2020—श्रावण 6, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2017/1/3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 8 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“(1) किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, प्रथमतः 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा.”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कमलप्रीत सिंह, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई 2020

क्रमांक एफ 1-1/2017/1/3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2017/1/3 दिनांक 28 जुलाई, 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

Atal Nagar, the 28th July 2020

NOTIFICATION

No. F 1-1/2017/1-3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Service (General Condition of Service) Rules, 1961, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

For sub-rule (1) of rule 8, the following shall be substituted, namely :—

“(1) A person appointed to a service or post by direct recruitment shall be placed on probation for first three years.”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
KAMAL PREET SINGH, Secretary.

पृ.क्र.४१३/२६०/ वि/नि/चार/२०२०
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक २९.०७.२०२०

१. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
 २. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
 ३. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 ४. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
 ५. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
 ६. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
 ७. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
 ८. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 ९. अपर मुख्य सचिव/सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 १०. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 ११. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
 १२. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर-१९, नवा रायपुर, अटल नगर
 १३. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
 १४. समस्त अपर सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव /विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/शोध अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 १५. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
 १६. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 १७. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
 १८. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
 १९. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
 २०. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
 २१. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
 २२. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
- को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु
२३. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु


(आनंद मिश्रा)
अवर सचिव